राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2208/2013/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–।, बांसवाडा .....अपीलार्थी

बनाम

मै पी.सी.एल लिमिटेड,
गडुडा, तहसील फागी,जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री रामकरण सिंह,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 05/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 79/अ.प्राधि–।।/आरवीऐट/जयपुर/12–13 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापंवचन प्रथम बांसवाडा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2012 के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति रूपये 3,00,000/– को अपास्त किया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन द्वितीय बांसवाडा द्वारा वाहन संख्या जीजे–12 जेड–2848 को खजूरी जिला डूंगरपुर पर चैक किया गया। परिवहनित माल के साथ संलग्न दस्तावेजों में वैट–47 के पार्ट–बी के कॉलम 2 में दिनांक अंकित होना नहीं पाया गया तथा घोषणा पत्र वैट–47 नियत स्थान पर पंच किया जाना भी नहीं पाया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53(1) का उल्लंघन किया जाना मानकर धारा 76(6) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार कर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील को स्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

3. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रदत्त आदेश को अपास्त करने तथा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने

लगातार 2

का निवेदन किया।

5. एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध घोषणा–पत्र में माल का नाम, माल का प्रेषिति, प्रेषक, माल की कीमत, इन्वायस संख्या, माल परिवहनकर्ता कम्पनी का नाम, वाहन संख्या एवं बिल्टी संख्या आदि सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का इन्द्राज किया गया है तथा माल बिल्टी पर माल प्रेषक, प्रेषिति, वाहन संख्या, बिल संख्या व दिनांक अंकित है इन सभी दस्तावेजों पर सशक्त अधिकारी द्वारा कोई संदेह किया जाना रिकार्ड से प्रकट नहीं होता है। विचाराधीन प्रकरण में घोषणा–पत्र वैट–47 में बिल के माह तथा वर्ष भी अंकित है किन्तु दिवस की दिनांक अंकित नहीं है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में व्यवहारी द्वारा घोषणा प्रपत्र वैट–47 में सभी महत्वपूर्ण इन्द्राज का होना बताया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि परिवहन के दौरान प्रस्तुत डिलीवरी चालान एवं बिल्टी में दिनांक का दिवस अंकित था तथा डिलीवरी चालान में वैट–47 का क्रमांक भी अंकित था जो प्रत्यर्थी व्यवहारी की सद्भावी मंशा प्रमाणित करता है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(**खेमराज**)
अध्यक्ष